झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान–सभा

पंचम (बजट)–सत्र

वर्ग– 01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 17 फाल्गुन,1942(श0) .....को
08 मार्च, 2021 (ई0)

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे।

क्रमांक	विभागों को भेजी गयी सां0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1–	2.	3.	4.	5.	6.
115.	अ0सू0–54	श्रीमती ममता देवी	मानव तस्करी को रोकना।	गृ0का0 एवं आ0प्र0	27.02.21
116.	अ0सू0–55	श्री विनोद कुमार सिंह	प्राथमिकी वापस लेना।	गृ0का0 एवं आ0प्र0	27.02.21
117.	अ0सू0–05	श्री बिरंची नारायण	लंबित वादो का निपटारा	का0प्र0सु0 तथा रा0	18.02.21
118.	अ0सू0–56	श्री प्रदीप यादव	डायन प्रथा की रोकथाम।	गृ0का0 एवं आ0प्र0	28.02.21
119.	अ0सू0–65	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	जैमर लगाना।	गृ0का0 एवं आ0प्र0	03.03.21
120.	अ0सू0–39	श्री दीपक बिरुवा	परीक्षाफल प्रकाशित करना।	का0प्र0सु0 तथा रा0	24.02.21
121.	अ0सू0–02	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	क्षतिपूर्ति अवकाश देना।	गृ0का0 एवं आ0प्र0	18.02.21
122.	अ0सू0–19	श्री बंधु तिर्की	पदों का सृजन करना।	का0प्र0सु0 तथा रा0	01.03.21
123.	अ0सू0–70	श्री राजेश कच्छप	आरक्षण रोस्टर/ रजिस्टर तैयार करना।	का0प्र0सु0 तथा रा0	03.03.21
124.	अ0सू0–60	श्री प्रदीप यादव	त्रुटियों का समाधान	का0प्र0सु0 तथा रा0	02.03.21

125.	अ०सू०-51	श्री रामचन्द्र सिंह	पदाधिकारीयों/ कर्मचारियों की प्रोन्नति।	का०प्र०सु० तथा रा०	27.02.21
126.	अ०सू०-44	श्री सुदिव्य कुमार	साहित्य अकादमी का गठन।	का०प्र०सु० तथा रा०	26.02.21
127.	अ०सू०-50	श्री बंधु तिर्की	खतियानों में हुई त्रुटियों का समाधान	का०प्र०सु० तथा रा०	26.02.21
128.	अ०सू०-53	श्री दीपक बिरूवा	प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन।	का०प्र०सु० तथा रा०	27.02.21
129.	अ०सू०-04	श्री बिरंची नारायण	आधारभूत संसाधन उपलब्ध कराना।	गृ०का० एवं आ०प्र०	18.02.21
130.	अ०सू०-52	डॉ० नीरा यादव	टैक्स में छुट दिलाना।	वाणिज्यकर विभाग।	27.02.21
131.	अ०सू०-28	श्री विनोद कुमार सिंह	नीति बनाना।	का०प्र०सु० तथा रा०	25.02.21
132.	अ०सू०-64	श्री अमित कुमार यादव	"सिन्दुरिया बनिया" जाति को सूचीबद् करना।	का०प्र०सु० तथा रा०	02.03.21
133.	अ०सू०-18	श्री सुदिव्य कुमार	नियुक्ति करना।	गृ०का० एवं आ०प्र०	24.02.21
134.	अ०सू०-62	श्री राज सिन्हा	वायरलेस सिस्टम सेवा उपलब्ध करना।	गृ०का० एवं आ०प्र०	02.03.21
135.	अ०सू०-47	श्री सुदेश कुमार महतो	मानदेय बढ़ाना।	गृ०का० एवं आ०प्र०	26.02.21
136.	अ०सू०-41	श्री केदार हजरा	जाति प्रमाण-पत्र बनवाना।	का०प्र०सु० तथा रा०	26.02.21
137.	अ०सू०-42	श्री अनन्त कुमार ओझा	"अनुसूचित जाति" में शामिल करना।	का०प्र०सु० तथा रा०	26.02.21
138.	अ०सू०-26	श्री सरयू राय	सुविधायें प्रदान करना।	का०प्र०सु० तथा रा०	24.02.21
139.	अ०सू०-19	डॉ० सरफराज अहमद	डिजीटल जाँच प्रयोग शाला स्थापित करना।	गृ०का० एवं आ०प्र०	24.02.21

....

राँची
दिनांक- 08मार्च, 2021 (ई०)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

क्र०पृ०३०-

ज्ञापांक सं०- झा०वि०स० प्रश्न- 01/2021......1004......./वि०स०, राँची, दिनांक-05/03/2021

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ मा० संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

05/03/2021

(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक सं०- झा०वि०स० प्रश्न- 01/2021......1004......./वि०स०, राँची, दिनांक-05/03/2021

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक (सचिवीय कार्यालय) को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

05/03/2021

उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक सं०- झा०वि०स० प्रश्न- 01/2021......1004......./वि०स०, राँची, दिनांक-05/03/2021

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा, प्रश्न शाखा के अपर सचिव एवं संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

05/03/2021

उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

निरंजन

05/03/21

(115)

श्रीमती ममता देवी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–54 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मानव तस्करी इस राज्य की एक गंभीर समस्या है, जिससे विशेषकर लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, रामगढ़ पाकुड़, दुमका, साहेबगंज एवं गोड्डा ज्यादा प्रभावित है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्णित जिलों में से रामगढ़ एवं सरायकेला– खरसावां में विगत पाँच वर्ष में दस से कम मामले प्रतिवेदित हुए है।
2	क्या यह बात सही है कि हाल के दिनों में बच्चे, युवतियों एवं महिलाएँ मानव तस्करों के चंगुल में फंसकर महानगरों में बिक्री कर दिए जाने के मामलों में लगातार बेतहाशा वृद्धि हुई है ;	अस्वीकारात्मक। वर्ष 2020 में मानव तस्करी के कुल 100 मामले प्रतिवेदित हुए है जो विगत वर्षों के प्रतिवेदन मामलों की तुलना में कम है।
3	क्या यह बात सही है कि मानव तस्करी रोकने एवं दोषियों को दंडित करने के लिए एंटी ट्रैफिकिंग स्क्वायड का गठन तथा सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट का गठन किए जाने की आवश्यकता है ;	मानव तस्करी की रोकथाम तथा दोषियों को दंडित करने के लिए राज्य के सभी 24 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) की स्थापना की गयी है। मामले का विचारण संबंधित जिला माननीय ए०डी०जे० के न्यायालय में की जा रही है। मानव तस्करी की रोकथाम हेतु उच्च प्राथमिकता पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड में मानव तस्करी को रोकने के लिए एंटी ट्रैफिकिंग स्क्वायड एवं सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट का गठन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विशेष न्यायालय के गठन संबंधित कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–06/2021–1367/ रांची, दिनांक–07/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–631, दिनांक–27.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(116)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के ~~द्वारा~~ दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–55 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गृह विभाग ने पत्थलगड़ी से जुड़े मामले में दर्ज प्राथमिकी की वापसी हेतु 22 जनवरी 2020 को पत्रांक–101/2020–501 के माध्यम से सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया था;	आंशिक स्वीकारात्मक विभागीय पत्रांक–10/मु०व०–101/2020–501, दिनांक–28.01.2020 द्वारा सभी उपायुक्तों को मुकदमा वापसी संबंधी अनुशंसा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
2	क्या यह बात सही है कि गठित जिला समितियों ने अब तक सभी दर्ज मामलों की अनुशंसा नहीं की है एवं जिन मामलों की अनुशंसा की है, वह भी अब तक वापस नहीं हुए है ;	आंशिक स्वीकारात्मक राज्य के सभी जिलों से जिला समिति की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	दर्ज मुकदमों की वापसी की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–709/2021–1364/ राँची, दिनांक–06/03/2021।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–632, दिनांक–27.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

117

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 05 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि विगत 1 वर्ष से झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में किसी भी सूचना आयुक्त नियुक्ति नहीं होने की वजह से आयोग में धारा–19 के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई नहीं हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। श्री हिमांशु शेखर चौधरी, तदेन कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त के दिनांक 08.05.2020 के सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों का पद सम्प्रति रिक्त है।
02	क्या यह बात सही है कि विगत 2 वर्षों में विभाग ने 3 बार झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया;	(i) झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के एकल पद पर नियुक्ति हेतु वर्ष 2017 में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11.03.2017 एवं वर्ष 2019 में प्रकाशित विज्ञापन सं0 01/2019 दिनांक 27.02.2019 के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये थे। (ii) पुनः राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के एकल पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन सं0 02/2019 दिनांक 21.10.2019 के द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। (iii) केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के आलोक में गठित सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2019 के द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों में परिवर्तन के फलस्वरूप प्रेस विज्ञप्ति संख्या 9088 दिनांक 14.11.2019 के द्वारा पूर्व में प्रकाशित सभी विज्ञापनों को रद्द कर दिया गया। (iv) पुनः झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के एकल पद तथा राज्य सूचना आयुक्तों के कुल 05 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन सं0 01/2020 दिनांक 03.01.2020 प्रकाशित करते हुए नए सिरे से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।
03	क्या यह बात सही है कि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त की बहाली को लेकर सरकार को निर्देश दिया है;	झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका सं0 WP(C) N0 1461/2020 शैलेस पोद्दार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

कृपया

04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में तत्काल रिक्त पदों पर सूचना आयुक्त की बहाली करते हुए उक्त लंबित वादों का निपटारा करवाने का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विज्ञापन सं0 01/2020 के माध्यम से राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त तथा 05 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु क्रमशः 63 एवं 354 आवेदन प्राप्त है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किये जाने के निमित्त गठित समिति की बैठक आहूत कर अग्रेतर कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–01/2021 का0 1391 /राँची दिनांक– 03 मार्च, 2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 80 दिनांक 18.02.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–56 का उत्तर प्रतिवेदन :–

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में डायन बिसाही का वर्ष 2015 से अक्टूबर–2020 तक 4658 मामले विभिन्न जिलों के थानों में दर्ज किये गये है और 211 महिलाओं की हत्या की गयी है ;</td><td>स्वीकारात्मक।
वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक डायन बिसाही के कुल 4556 मामले प्रतिवेदित हुए हैं एवं डायन बिसाही के नाम पर हत्या किये जाने संबंधित–272 कांड प्रतिवेदित हुए हैं, जिसमें कुल–215 महिलाओं की हत्या हुई है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य में डायन प्रथा प्रतिरोध अधिनियम–2001 में बनने के बावजूद भी इन मामलों में कोई कमी नहीं आयी है ;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम में प्रतिवेदित मामले की विवरणी निम्न रूपेण हैं–
<table><tr><td>वर्ष</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>मामले</td><td>818</td><td>688</td><td>668</td><td>567</td><td>978</td><td>837</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिए कौन सा उपाय करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के प्रवर्तन के पश्चात राज्य भर में डायन कुप्रथा के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया जा रहा है एवं जमीनी स्तर पर इसके उन्मूलन हेतु सरकार निरन्तर प्रयासरत है। डायन कुप्रथा जैसी सामाजिक कुरुतियों के पूर्ण उन्मूलन हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए राज्य संसाधन से सामाजिक कुरीति निवारण योजना क्रियान्वित कर रही है, जिसके तहत डायन प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम का संचालन कर सघन एवं व्यापक जन–जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत् निम्नांकित कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है :–
i. जिले के सभी साप्ताहिक हाट–बाजार में माईक तथा ऑडियो–वीडियो विजुअल के माध्यम से प्रचार– प्रसार एवं मुहल्लो/ग्रामों/पंचायतों एवं हाट– बाजारों में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरुकता अभियान।
ii. आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं विद्यालयों में जागरुकता शिविर का आयोजन।
iii. आंगनबाड़ी केन्द्रों, विद्यालय भवन तथा पंचायत सचिवालय में पोस्टर तथा पेंटिंग एवं वाल राइटिंग कराना।
iv. चौराहे, प्रमुख स्थल, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि पर होर्डिंग स्थापित करना।
v. सभी जिलों में जागरुकता रथ का संचालन करना। सरकार द्वारा इस हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में अबतक कुल रु० 62.71 लाख का व्यय किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 में डायन प्रथा उन्मूलन कार्यक्रमों में कुल रु० 126.00 लाख के व्यय की कार्य योजना तैयार की गई है। जिसका मूर्तीकरण सरकार की प्राथमिकता है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

झापांक–11/वि०स०–07/2021–1369/ रॉची, दिनांक–07/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–680, दिनांक–28.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

119

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–65 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न जेलों में 2G जैमर लगे होने के बाद भी जेल में बंद अपराधियों/कैदियों के द्वारा मोबाइल फोन का दुरूपयोग कर रंगदारी मांगने तथा अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के मामले सामने आते रहते हैं ;	अस्वीकारात्मक। राज्य के काराओं में मोबाईल फोन प्रतिबंधित सामग्री है। औचक तलाशी के क्रम में मोबाईल फोन बरामद होने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के जेल परिसर में लगे जैमर उन्नत तकनीक से लैस नहीं है या फिर 4G फोन नेटवर्क पर बेअसर 2G तकनीक के हैं जिस कारण जेलों में बंद कैदी 4G फोन नेटवर्क का उपयोग कर फोन कॉल तथा विडियों कॉल करते है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। जेल परिसर में तकनीकी रूप से लैस 2G जैमर अधिष्ठापित है तथा जेलों में बंद कैदियों द्वारा 4G फोन नेटवर्क का उपयोग कर फोन कॉल तथा विडियों कॉल नहीं किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि जेलों में लगे जैमर की खामियों के वजह से कैदी जेल से ही अपने अपराधिक मंसूबों को अंजाम देते आ रहे है ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य के सभी जेलों में उन्नत तकनीक से लैस 4G/5G फोन नेटवर्क जैमर लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	सरकार द्वारा 2G जैमरों को 4G जैमरों में उत्क्रमित करने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स० (अल्प–सूचित)–806/2021–1119 / राँची, दिनांक–06/03/2021ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–888, दिनांक–03.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

120

श्री दीपक बिरूवा मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 39 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि प्रथम सीमित उप–समाहर्त्ता परीक्षा, 2005, विज्ञापन सं0–05/2005 का प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक–03.01.2020 को आयोजित की गई थी;	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि 7 माह बीत जाने के बाद भी परीक्षाफल प्रकाशित नही हुई है;	स्वीकारात्मक।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त परीक्षाफल शीघ्र प्रकाशित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रथम सीमित उप समाहर्त्ता प्रतियोगिता परीक्षा, 2005 (विज्ञापन संख्या 05/2005) की परीक्षा दिनांक 03.01.2020 को आयोजित की गई थी। परीक्षा आयोजन के पश्चात् उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन प्रारंभ किया गया था परन्तु Govid-19 के प्रसार के पश्चात् लॉकडाउन लग जाने के कारण मूल्यांकन का कार्य तत्काल स्थगित कर देना पड़ा था। लॉकडाउन में ढील के पश्चात् मूल्यांकन का कार्य संपन्न करा लिया गया है। फलतः परीक्षाफल शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–02/2021 का0 1387 /राँची दिनांक– 03 मार्च, 2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 248 दिनांक 24.02.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राज कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।

191

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड पुलिसकर्मियों के कठिन काम को देखते हुए सरकार द्वारा 13 माह का वेतन देना शुरू किया गया है लेकिन 13 वें माह का वेतन लेने वाले पुलिसकर्मियों को मिलने वाले 20 दिन की क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा हटा ली गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड पुलिस के पदाधिकारियों तथा कर्मियों यथा चतुर्थवर्गीय कर्मी, आरक्षी, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं निरीक्षक द्वारा राजपत्रित अवकाश में कार्य करने, त्यौहार के दिनों में विधि–व्यवस्था के संधारण हेतु निरंतर सेवा देने तथा कार्यदिवसों में निर्धारित कार्यावधि से ज्यादा अवधि तक कार्य करने के एवज में एक माह के वेतन (मूल वेतन+महँगाई भत्ता) के समतुल्य मानदेय भुगतान का प्रावधान किया गया है। इस सुविधा का उपभोग करने वाले पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को पूर्व से देय क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा अनुमान्य नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य पुलिस एसोसिएशन और मेन्स एसोसिएशन के द्वारा लगातार आंदोलन के उपरांत राज्य पुलिस मुख्यालय के आई०जी० अभियान ने 13 माह का वेतन के साथ 13 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा बहाल करने के लिए गृह विभाग को अनुशंसा भेजी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय द्वारा क्षतिपूर्ति अवकाश की देयता को सभी पुलिसकर्मियों के लिए पुनः बहाल करने का अनुशंसा सहित प्रस्ताव दिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड पुलिस को 13 माह का वेतन के साथ क्षतिपूर्ति अवकाश देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–01/2021–1362/ राँची, दिनांक–06/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–84, दिनांक–18.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\Sandeep 2017\Sandeep Vidhansabha\Chandra 2\Questions (Budget) 21.doc P-14

श्री बंधु तिर्की, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 19 का उत्तर प्रतिवेदन।

<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>01</td><td>क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन सं0–1/2020 में अधिकतम उम्र सीमा की गणना 01.08.2011 थी, जिसका पूर्ण प्रकाशण 08.02.2021 को विज्ञापन सं0–01/2021 में अधिकतम उम्र सीमा की गणना 01.08.2016 कर दिया गया;</td><td>स्वीकारात्मक।
झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के विज्ञापन प्रकाशन से लेकर परीक्षाफल प्रकाशन में 04 वर्षों से अधिक का समय लग जाने के कारण वर्ष 2017, 2018, 2019 एवं 2020 तक की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु विभागीय संकल्प सं0 805 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा कट–ऑफ तिथि 01.08.2016 करने का निर्णय लिया गया है।
उपरोक्त के अनुरूप झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2021 हेतु 252 पदों के लिए विज्ञापन सं0 1/2021 दिनांक 08.02.2021 प्रकाशित किया गया है।</td></tr>
<tr><td>02</td><td>क्या यह बात सही है कि विज्ञापन सं0–1/2021 में नियुक्ति के तीनों स्तरों अर्थात प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में आरक्षण देय होगा या नहीं के बारे में स्पष्ट नहीं है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापित विज्ञापन सं0 01/2021 के आलोक में संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2021 का आयोजन राज्य में अधिसूचना सं0 162 दिनांक 08.01.2021 के द्वारा नवगठित The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 के प्रावधानों के आलोक में किया जाना है।
उपरोक्त नियमावली में संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रत्येक चरण (यथा–प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा (लिखित + साक्षात्कार)) के परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने के संबंध में सुस्पष्ट प्रावधान किया गया है।</td></tr>
<tr><td>03</td><td>क्या यह बात सही है कि पिछड़ा वर्ग (BC-1) के लिए उप समाहर्ता (कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) जिला समादेष्टा, कारा अधीक्षक आदि सेवाओं में एक भी पद सृजित नहीं किये गये हैं;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन विभिन्न विभागों से प्राप्त अधियाचनाओं के आलोक में विज्ञापन प्रकाशित कर किया जाता है।
झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2017, 2018 2019 एवं 2020 के लिए विभिन्न सेवाओं के लिए विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिक्तियों के आलोक में निम्नांकित पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है–
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>पद का नाम</th><th>अ0पि0व0 अनु0 1 के लिए विज्ञापित रिक्तयों की संख्या</th><th>संबंधित विभाग का नाम</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>उप समाहर्त्ता</td><td>0</td><td>कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पुलिस उपाधीक्षक</td><td>2</td><td>गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>जिला समादेष्टा</td><td>0</td><td>गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>कारा अधीक्षक</td><td>0</td><td>गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>सहायक नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी</td><td>5</td><td>नगर विकास एवं आवास विभाग।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग 2</td><td>6</td><td>स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>अवर निबंधक</td><td>2</td><td>राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>सहायक निबंधक</td><td>0</td><td>कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>सहायक निदेशक, समाजिक सुरक्षा</td><td>0</td><td>महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी</td><td>2</td><td>श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>प्रोबेशन पदाधिकारी</td><td>3</td><td>गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>कुल 20 पद</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

04	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार अधिकतम उम्र सीमा की गणना 01.08.2011 पर करने, प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में आरक्षण की स्पष्ट व्याख्या करने तथा BC-1 (पिछड़ा वर्ग) के लिए उप समाहर्ता आदि सेवाओं में पद सृजित करने पर विचार रखती है हाँ तो कबतक और नहीं तो क्यों?	उपरांकित कंडिका 1, 2, 3 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11 / वि0स0–06–09 / 2021 का0 1390 रांची दिनांक– 03 मार्च, 2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 723 दिनांक 01.03.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

123

श्री राजेश कच्छप, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–70 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के 20 वर्षों के बाद भी सरकार के विभिन्न विभागों एवं स्वशासी संस्थानों में आरक्षण रोस्टर/रजिस्टर की स्थिति अद्यतन नहीं है ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार 01.07.1997 की रिक्त आधारित आरक्षण रोस्टर/रजिस्टर सभी राज्यों को तैयार कर लेना था जो सरकार के विभिन्न विभागों एवं विभिन्न स्वशासी संस्थानों यथा रिम्स, डॉ0 श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय एवं झारखण्ड अधिविध परिषद में आज तक जानकारी के अभाव में तैयार नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प सं0–1072, दिनांक–17.02.2009 तथा संकल्प सं0–1433, दिनांक–15.02.2019 के द्वारा गठित आरक्षण रोस्टर के अनुसार नियुक्ति एवं प्रोन्नति से पूर्व विभागीय परिपत्र सं0–4553, दिनांक–23.07.2008 में निहित निदेशों के आलोक में संबंधित विभाग/प्राधिकार द्वारा रोस्टर पंजी अद्यतन की जाती है। तदोपरान्त सक्षम स्तर से रोस्टर क्लीयरेंस कराते हुए नियुक्ति एवं प्रोन्नति की कार्रवाई किए जाने के कारण रोस्टर पंजी प्रत्येक नियुक्ति एवं प्रोन्नति से पूर्व अद्यतन होती है। संदर्भित स्वशासी संस्थानों के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी है, जो अप्राप्त है।
3	यदि उपर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब सरकार के सभी विभागों एवं स्वशासी संस्थानों में आरक्षण रोस्टर/रजिस्टर तैयार कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 2 से वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/ज्ञा0वि0स0–07–18/2021 का0–**1456**/ रांची, दिनांक **06.03.2021**

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–887 वि0स0, दिनांक–03.03.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/3/2021

(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(124)

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 60 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड सरकार ने जे0पी0एस0सी0 द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की नई नियमावली बनाई है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन हेतु अधिसूचना सं0 162 दिनांक 08.01.2021 के द्वारा The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 का गठन किया गया है।
02	क्या यह बात सही है, राज्य सरकार ने सातवीं से दसवीं जे0पी0एस0सी0 एक साथ उपलब्ध सारी रिक्तियों के विरूद्ध परीक्षा लेने का निर्णय लिया है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के विज्ञापन प्रकाशन से लेकर परीक्षाफल प्रकाशन में 04 वर्षों से अधिक का समय लग जाने के कारण राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2017, 2018, 2019 एवं 2020 की रिक्तियों के आधार पर 04 वर्षों की संयुक्त परीक्षा लेने का निर्णय किया गया है। उपरोक्त के अनुरूप झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु 252 पदों के लिए विज्ञापन सं0 1/2021 दिनांक 08.02.2021 प्रकाशित किया गया है।
03	क्या यह बात सही है, कि एक साथ परीक्षा लेने पर नयी नियमावली में अंकित उम्र सीमा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण और पिछड़ों के आरक्षण को लेकर कई त्रुटियाँ सामने आ रही है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प सं0 805 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा की गणना हेतु कट–ऑफ तिथि 01.08.2016 करने का निर्णय लिया गया है। विभागीय संकल्प संख्या 1433 दिनांक 15.02.2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग से संबंधित व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) के लिए आरक्षण के स्कीम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है, उन्हें राज्य सरकार के सिविल पदों एवं सेवाओं में सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना संख्या 162 दिनांक 08.01.2021 द्वारा अधिसूचित The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 के नियम 17, 18 एवं 19 में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सहित आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पुनः अधिसूचना संख्या 804 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा अधिसूचित The Jharkhand Combined Civil Services Examination (1st Amendment) Rules, 2021 के माध्यम से संशोधन करते हुए अतिरिक्त प्रावधान जोड़ा गया है।

कृपया०

04.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन त्रुटियों का समाधान करने का तोस पहल करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–12/2021 का0 1447 /राँची दिनांक– 05 मार्च, 2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 769 दिनांक 02.03.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

(125)

माननीय स०वि०स० श्री रामचन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 08.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–51 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला अन्तर्गत देवघर विद्यापीठ से उर्त्तीण पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातक एवं इण्टर के समकक्ष डिग्री धारियों को पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति समय–समय पर दी गयी है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 6063 दिनांक 03.11.2003 के द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दी जानेवाली उपाधियों यथा प्रवेशिका, साहित्यभूषण एवं साहित्यालंकार को क्रमशः मैट्रीक, आई०ए० एवं बी०ए० के समकक्ष स्थायी मान्यता प्रदान करने से संबंधित कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के आदेश संख्या 541 दिनांक 11.01.1991 को झारखण्ड राज्य में लागू होने का निर्णय संसूचित किया गया था। कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–1863 दिनांक–26.02.2015 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दिये जानेवाली उपाधियों यथा प्रवेशिका, साहित्यभूषण एवं साहित्यालंकार की क्रमशः मैट्रिक, आई०ए० एवं बी०ए० के समकक्ष स्थायी मान्यता को दिनांक–26.06.2014 के प्रभाव से समाप्त करते हुए विभागीय पत्रांक 6063 दिनांक 03.11.2003 को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है तथा यह निदेश संसूचित किया गया है कि हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त उक्त विषयक किसी भी डिग्री/प्रमाण–पत्र को अबसे किसी भी नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए मान्यता नहीं दी जायेगी। विभागीय पत्रांक–4786 दिनांक–01.06.2015 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि दिनांक–26.06.2014 के बाद किसी भी सरकारी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के लिए हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं है, चाहे उक्त प्रमाण पत्र दिनांक–26.06.2014 के पूर्व ही क्यों नहीं निर्गत किये गये हों।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्त्तमान में भी देवघर विद्यापीठ से उर्त्तीण राज्य के विभिन्न पदों पर पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों को प्रोन्नति देने तथा नये नियुक्ति में सहभागिता देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर के खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/ज्ञा०वि०स०–15–09/2021 का०–1450 /राँची, दिनांक–05/03/2021

प्रतिलिपि–उप/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–834/ दिनांक–27.02.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/21

(आलम प्रकाश सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(127)

श्री बंधु तिर्की, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–50 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि भूईहर मुण्डा, खुँटकटी मुण्डा, कम्पाट मुण्डा, चीक बड़ाईक, लोहरा एवं करमाली समुदाय को राज्य के कुछ जिलों मे जनजाति प्रमाण पत्र हासिल करने में कठिनाई हो रही है;	अंशतः अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य हेतु अनुसूचित जनजाति की सूची में भूईहर मुण्डा, खुँटकटी मुण्डा एवं कम्पाट मुण्डा जाति सूचीबद्ध नहीं है। चीक बड़ाईक, लोहरा एवं करमाली जाति, जो उक्त सूची मे सूचीबद्ध है, के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ समिति (TAC) की उपसमिति, जिसके अध्यक्ष श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा थे, 13.08.2019 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया कि (क्रमांक–2) वि0 जहाँ भूईहर मुण्डा, खुँटकटी मुण्डा, कम्पाट मुण्डा, चीक बड़ाईक, लोहरा एवं करमाली समुदाय के चिन्हित ग्राम राजस्व अभिलेख में चिन्हित ग्राम में लोहरा वंशज के ही लोग जो बाद में खतियान में लोहरा के स्थान पर लोहरा अंकित है, उसे लिपिकीय भूल मानते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को इसे संशोधन करने हेतु अनुशंसा करती है;	वस्तुस्थिति यह है कि भुईहर मुण्डा, खूटकटी मुण्डा, कपाट मुण्डा, लोहार, घटवाल एवं चीक बड़ाईक जातियों की अनुसूचित जनजाति की मान्यता के संबंध में मूल्यांकन हेतु झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् की उपसमिति का गठन किया गया था। झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् की उक्त के सम्बन्ध में अनुशंसा/मंतव्य प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अनुसूचित जनजाति समुदाय का जाति प्रमाण पत्र बनाने में ही रही कठिनाईयों तथा खतियान में हुई लिपिकीय त्रुटियों का समाधान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 2 से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–13/2021 का0–1455/ रांची, दिनांक 06.03.2021

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–435 वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(चन्द्र भूषण) 06/3/2021
सरकार के उप सचिव।

श्री दीपक बिरूवा मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 53 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं0–07/2015 द्वारा पथ निर्माण एवं जल संसाधन विभाग में संयुक्त सहायक अभियंता विशेष (बैकलाग) भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा हेतु, दिनांक–14.10.2015 तक आवेदन समर्पित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था;	स्वीकारात्मक
02	क्या यह बात सही है कि उक्त विज्ञापन के आलोक में योग्यताधारी अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया गया है तथा 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद अब तक विज्ञापन के आलोक में परीक्षा आयोजित नहीं कराया गया है;	स्वीकारात्मक
03	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रकाशित कैलेण्डर वर्ष–2020–21 में खण्ड–1 से संबंधित विज्ञापन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कैलेण्डर वर्ष 2020–21 में ही खण्ड–1 में वर्णित विज्ञापन को शामिल करते हुए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्ष 2015 में बिहार अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली 1991 के प्रावधानों के आलोक में पथ निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग से प्राप्त अधियाचनाओं के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 07/2015 प्रकाशित की गयी थी। तत्पश्चात् झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली, 2016 के गठन के उपरांत पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 5052 दिनांक 31.08.2018 द्वारा इस नियमावली के प्रावधानों के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध आयोग से किया गया। उक्त संबंध में आयोग के पत्रांक 2253 दिनांक 28.09.2018 के द्वारा पूर्व की अधियाचनाओं को वापस लेते हुए झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप अधियाचना आयोग को उपलब्ध कराने का अनुरोध पथ

		निर्माण विभाग से किया गया। झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली 2016 के आलोक में पथ निर्माण विभाग से संशोधित अधियाचना प्राप्त कर झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना उपलब्ध कराने के उपरांत प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11 / वि0स0–06–11 / 2021 का0 1448 / राँची दिनांक– 05 मार्च, 2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 633 दिनांक 27.02.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, मौडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

129

श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–04 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स०	श्री बन्ना गुप्ता, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन प्रभाग
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राज्य के समस्त जिलों में आपदा प्रबंधन हेतु एक्टिव जिलावार टीम का गठन नहीं हुआ है, जिस कारण कोई भी आपदा आने पर तत्काल जिला में उसके प्रबंधन और राहत के उपाय समय नहीं हो पाते है;	स्वीकारात्मक। राज्य में आपदा आने पर या संभावित आपदाओं से बचाव एवं राहत कार्य हेतु जिला प्रशासन से प्राप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की प्रतिनियुक्ति की जाती है। राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2. क्या यह बात सही है कि अभी तक बोकारो सहित समस्त जिलों में आपदा प्रबंधन विभाग के पास अपने गोताखोर तक नियुक्त नहीं है, जिससे नदी/डैम/तालाब इत्यादि में डूबने वाले व्यक्ति को तुरंत बचाया जा सके;	स्वीकारात्मक। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग–दर्शिका (Guideline) तथा मद एवं मापदण्ड (Items & Norms) में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) अंतर्गत उपलब्ध राशि से गोताखोर नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में बोकारो सहित राज्य के समस्त जिलों में स्थानीय दक्ष लोगों को सम्मिलित करते हुए जिला आपदा प्रबंधन टीम का गठन करवाते हुए इन्हें ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक आधारभूत संसाधन उपलब्ध करवाने का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?	गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका तथा मद एवं मापदण्ड (Items & Norms) राज्य में प्रभावी है। भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (State Disaster Risk Management Fund) के परिप्रेक्ष्य में नवीन मार्ग–दर्शिका (Guideline) तथा मद एवं मापदण्ड (Items & Norms) की प्रतीक्षा की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/आ०प्र०(विधायी)–02/2021– 147 /आ०प्र०, राँची, दिनांक– 4/3/2021

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (ससदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/2021

(अमरेश कुमार नीरज)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक –07/आ०प्र०(विधायी)–02/2021– 147 /आ०प्र०, राँची, दिनांक– 4/3/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–85 दिनांक–18.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

4/3/2021

सरकार के अवर सचिव।

130

डॉ० नीरा यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–52 का उत्तरः–

	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार वर्तमान में सभी पुराने रजिस्टर्ड व्यवसायियों से दिनांक 30.01.2012 से प्रोफेसनल टैक्स की मांग की जा रही है और नये रजिस्टर्ड व्यवसायी भी प्रोफेसनल टैक्स के नियम के अंतर्गत आ जाएंगे, जिससे यहां के व्यवसायियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। दिनांक 30.1.2012 से झारखण्ड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारो पर कर अधिनियम 2011 (पेशा कर) के लागू होने के बाद से राज्य के व्यवसायियों द्वारा निबंधन लेकर पेशा कर का भुगतान किया जा रहा है। अतः पेशा कर नया नहीं है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–एस०ओ० 31 दिनांक 19.06.2020 द्वारा दिनांक 1.7.2017 के प्रभाव से जी०एस०टी० के अंतर्गत निबंधित/निबंधन योग्य अथवा अनिबंधित/निबंधन योग्य नहीं परन्तु जिनका वार्षिक सकल आवर्त 5 लाख रूपये से अधिक है, वैसे व्यवसायियों/व्यक्तियों को पेशा कर के दायरे में लाया गया है। पेशा कर के अंतर्गत निबंधित व्यवसायियों/व्यक्तियों से वसूली जाने वाली पेशा कर की वार्षिक राशि अत्यंत अल्प अधिकतम रू० 2500 निर्धारित है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित टैक्स देय के लिए सभी व्यवसायियों को प्रोफेसनल टैक्स के अतिरिक्त देय ब्याज का भी भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि व्यवसायियों से जी०एस०टी०, नगर निगम ट्रेड लाईसेंस इत्यादि के रूप में भी कर वसूली करती है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। झारखण्ड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारो पर कर अधिनियम 2011 के क्रियान्वयन के पश्चात उक्त कर के अंतर्गत निबंधित व्यवसायियों द्वारा पेशा कर के भुगतान में विलम्ब पर ब्याज प्रावधानित है। दिनांक 1.7.2017 के प्रभाव से पेशा कर के दायरे में लाये गए जी०एस०टी० के अंतर्गत निबंधित/निबंधन योग्य व्यवसायियो पर पेशा कर की देयता स्थापित की गई है। ऐसे व्यवसायियों द्वारा दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 19.06.2020 तक की अवधि के लिए ब्याज के प्रावधान को स्थगित रखा गया है। तत्संबंधी प्रस्ताव वाणिज्य–कर विभाग मे विचाराधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्तमान वैश्विक महामारी (कोविड–19) से त्रस्त व्यवसायियों को राहत दिलाने हेतु "प्रोफेसनल टैक्स" में संशोधन करते हुए मंदी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने हेतु यहां के व्यवसायियों को वर्णित टैक्स में छूट देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	सम्प्रति सरकार का पेशा कर में छूट संबंधी किसी भी संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि पेशा कर के अंतर्गत अधिरोपित अधिकतम करदेय राशि अत्यंत अल्प है।

झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

ज्ञापांकः–वा०– कर /वि०मं०/02/2021 693 /राँची, दिनांकः– 05/03/2021

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 619 दिनांक 27.02.2021 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.3.21

(अखिलेश शर्मा)

राज्य–कर संयुक्त आयुक्त।

Bait/F/Hindi Letter 2021/81

(131)

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–28 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार ने राज्य के जिला स्तर के नियुक्तियों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने हेतु संकल्प वापस ले लिया है ;	स्वीकारात्मक। WP(C) No.-1387/2017 सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा संलग्न समरूप वादों में दिनांक–21.09.2020 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के वृहद् पीठ के द्वारा निम्नवत् न्यायादेश पारित किया:– "57. For the reasons detailed above, both these Notification No. 5938 and Order No. 5939 dated 14.7.2016, as contained in Annexures-6 and 6/1 of the lead writ application are accordingly, quashed." उल्लेखनीय है कि उक्त वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा किसी जिला के शत–प्रतिशत पदों को उसी जिला के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित करने के मामले में अभिव्यक्त प्रेक्षण (Observation) विभागीय संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 पर भी सैद्धान्तिक तौर पर समान रूप से लागू होंगे। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के द्वारा राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्यस्तरीय समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 (संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) को तत्काल प्रभाव से आहरित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान स्थिति में समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर राज्य के स्थायी निवासियों को प्राथमिकता नहीं मिल पायेगी ;	अस्वीकारात्मक। संकल्प सं0–9567, दिनांक–11.11.2016 द्वारा अन्य सभी मामलों में समानता (All things being equal) होने पर झारखण्ड के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार समूह 'ग' एवं 'घ' तथा समूह 'ख' के अराजपत्रित पदों पर स्थायी निवासियों को प्राथमिकता हेतु नीति बनाने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं से वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / ज्ञा0वि0स0–07–10 / 2021 का०– 1315 / रांची, दिनांक 02/03/2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–365 वि0स0, दिनांक–25.02.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

02/3/2021

(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–64 का उत्तर प्रतिवेदन।

	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि बिहार में पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण के अधीन अनुसूची–2 पिछड़े वर्गों की सूची के क्रमांक–(20) पर बनिया जाति के अन्तर्गत "सिन्दुरिया बनिया" सूचीबद्ध है;	स्वीकारात्मक। बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–1991 (बिहार अधिनियम–3,1992) के अनुसूची–2 के क्रमांक–20 पर बनिया के प्रकोष्ट में सिन्दुरिया–बनिया सूचीबद्ध है।
2	क्या यह बात सही है, कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–4276, दिनांक–29/11/2001 के द्वारा निर्गत अनुसूची–2 पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक–20 पर बनिया के साथ केवल "सिन्दुरिया" को सूचीबद्ध किया गया है;	अंशतः स्वीकारात्मक। झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001 की अनुसूची–2 के क्रमांक–20 पर बनिया के प्रकोष्ट में सिन्दुरिया को सूचीबद्ध किया गया है।
3	क्या यह बात सही है, कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0–4447, दिनांक–24.08.2006 द्वारा झारखण्ड राज्य के सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम–2001 के अनुसूची–2 के क्रमांक 20 पर बनिया जाति के साथ "सिन्दुरिया" जाति को अनुसूची–1 क्रमांक–114 पर सिन्दुरिया जाति के रुप में सूचीबद्ध किया गया है;	स्वीकारात्मक। संकल्प सं0–4447, दिनांक–24.08.2006 द्वारा सिन्दूरिया जाति को अनुसूची–2 के क्रमांक–20 से विलोपित कर अनुसूची–1 के क्रमांक–114 पर समावेशित किया गया।
4	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 के आलोक में खण्ड में उल्लेखित अनुसूची–2 के क्रमांक–20 पर बनिया के साथ सिन्दुरिया के स्थान पर "सिन्दुरिया बनिया" जाति के रुप में सूचीबद्ध करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान में राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची में दर्ज सिन्दुरिया जाति को सिन्दुरिया बनिया जाति के रूप सूचीबद्ध करने का कोई मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/ज्ञा0वि0स0–07–15/2021 का०– 1451 /राँची, दिनांक 05/03/2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–767 वि0स0, दिनांक–02.03.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/3/2021
(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(133)

श्री सुदिव्य कुमार, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–18 का अद्यतन उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में अग्नि शमन चालक के 279 पद, फायर स्टेशन ऑफिसर के 33 पद, प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी के 06 पद रिक्त है ?	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड एक में वर्णित पदो के रिक्त होने के कारण संबंधित कार्यों के संचालन में लोगों को आये दिन अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है ?	आंशिक स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–1 में वर्णित रिक्त पदों पर नियुक्ति करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	1. राज्य गठन के पश्चात अग्निक चालक के पद पर वर्ष 2009 में 197 एवं वर्ष 2017 में 68 अग्निक चालकों की सीधी नियुक्ति की गई है। 2. राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का 01 पद एवं अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का 02 पद स्वीकृत है, जो रिक्त है। यह प्रोन्नति का पद है। मूल पद रिक्त रहने के कारण इस पद पर प्रोन्नति नहीं दी जा सकी है। इन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 3. प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी के 06 पद स्वीकृत है। इनमें से 03 पद सीधी नियुक्ति एवं 03 पद प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है। 03 पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग (JPSC) को भेजी गई है, जिस पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। मूल पद रिक्त रहने के कारण शेष 03 पद पर प्रोन्नति नही दी जा सकी है। 4. सहायक प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी का 12 पद स्वीकृत है, जो रिक्त है। सभी पद प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है। मूल पद रिक्त रहने के कारण प्रोन्नति नहीं दी जा सकी है। 5. फायर स्टेशन ऑफिसर के कुल 44 पद स्वीकृत है। इसमें से 11 पद प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है, जिसपर प्रोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शेष 33 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को भेजी गई है एवं नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 6. अग्निक चालक की कुल 502 पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध 221 पद अग्निक चालक कार्यरत है। शेष 281 पद रिक्त है, जिस पर नियुक्ति की कार्रवाइ प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–05 / विस0–07 / 03 / 2021– 1117 / राँची, दिनांक– 06/03 / 2021 ई0।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–233, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(134)

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–62 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड पुलिस टेट्रा वायरलेस सिस्टम सेवा का उपयोग करती है :	अस्वीकारात्मक। टेट्रा सिस्टम मात्र राँची शहरी क्षेत्र के लिए उपयोग किया जा रहा था, जिसकी तकनीक पुरानी हो जाने के कारण इसका उपयोग वर्ष 2016 से बन्द कर दिया गया एवं इसके स्थान पर नये **Digital V.H.F Sets (Repeatar Based)** के माध्यम से राँची शहरी क्षेत्र में वायरलेस का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
2	क्या यह बात सही है, कि उक्त वायरलेस सेवा वर्त्तमान में प्रभावी नहीं है और राशि के अभाव में नयी वायरलेस सेवा लेना संभव नहीं होने से पुलिस को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है :	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड पुलिस के अंतर्गत **Digital V.H.F Sets** के माध्यम से वायरलेस सिस्टम का कार्य कराने हेतु चरणबद्ध तरीके से राज्य के राँची, सरायकेला, हजारीबाग एवं रामगढ़ जिलों के साथ एस०टी०एफ० के **Digitalization** का कार्य किया जा चुका है तथा अन्य जिलों एवं वाहिनियों को **Digitalization** करने हेतु **Digital V.H.F Sets** के क्रय किये जाने के निमित्त उसके **specification** के निर्धारण हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। **Specification** प्राप्त होने के उपरांत **Digital V.H.F Sets** क्रय की कार्रवाई की जायेगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राशि आवंटित करते हुए झारखण्ड पुलिस को नए वायरलेस सिस्टम की सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–02 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–13 / 2021– 1371 / राँची, दिनांक–07/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–763, दिनांक–02.03.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(135)

श्री सुदेश कुमार महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–47 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि 12 नक्सल प्रभावित जिलों से 2500 सहायक पुलिसकर्मी जिनकी सेवा अवधि समाप्त हो गई थी पिछले साल सितम्बर महीने में आंदोलन करने राँची पहुँचे और इस दौरान उन पर लाठीचार्ज किया गया तत्पश्चात् सरकार ने 2 साल के लिए उनकी सेवा विस्तार का निर्णय लिया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। दिनांक–12.09.2020 को मोरहाबादी मैदान में करीब 1500–2000 की संख्या में 12 जिलों के सहायक पुलिसकर्मी अपने स्थायीकरण को लेकर धरना/प्रदर्शन कर रहे थे। इसी क्रम में सभी सहायक पुलिसकर्मियों द्वारा धरना/प्रदर्शन जारी रखते हुये दिनांक–18.09.2020 को माननीय सांसद श्री शिबु सोरेन के आवास के पास बेरिकेटिंग को तोड़कर माननीय मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने का प्रयास किया जाने लगा। उग्र प्रदर्शनकारियों द्वारा सामान्यजन के लिये कर्णांकित मार्गों को अवरूद्ध किया जाने लगा/आसपास के लोक संपति और निजी दुकानों को क्षति पहुँचायी गयी तथा तैनात पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर पत्थरबाजी की जाने लगी। इस पत्थरबाजी और हिंसा में पुलिस वाले और पदाधिकारी भी जख्मी हुए, तदोपरांत विधि वर्णित तरीके से उग्र प्रदर्शनकारियों को तीतर–बीतर करने हेतु हल्का बल प्रयोग किया गया और अश्रुगैस छोड़ा गया। सहायक पुलिस के लिए अधिसूचित सेवाशर्त के प्रावधान के अनुरूप 02(दो) वर्ष अनुबंध अवधि पूर्ण होने एवं कार्य संतोषप्रद होने पर वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के अनुशंसा के आधार पर 01–01 वर्ष के लिए पुलिस उप–महानिरीक्षक के अनुमोदनोपरांत सहायक पुलिस की सेवा को विस्तारित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि उन्हें मानदेय के तौर पर सिर्फ 10000 रूपए दिए जाते है जबकि उन्हें 12–14 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सेवाशर्तों के प्रावधान के अनुरूप सहायक पुलिस को मानदेय के रूप में एकमुश्त संविदा राशि 10000/– रूपये प्रतिमाह अनुमान्य है, इसके अलावा किसी अन्य प्रकार को कोई भत्ता एवं राशि अनुमान्य नहीं है। सामान्यतः इनसे 08 घंटे की ड्यूटी ली जाती है।
3	यदि उपर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा स्थाई करते हुए मानदेय बढ़ाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा स्थाई करने एवं मानदेय बढ़ोत्तरी का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–06/2021–1360/ राँची, दिनांक–06/03/2021ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–434, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री केदार हाजरा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–41 का उत्तर प्रतिवेदन। 136

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि एकीकृत बिहार से झारखण्ड राज्य की स्थापना हुए 20 वर्षो से अधिक हो गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कैडर विभाजन में बिहार से झारखण्ड में आये पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चे का आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र नही बनता है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प सं0–3198, दिनांक–18.04.2016 द्वारा झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान संबंधी नीति संसूचित है। परिपत्र सं0–4650, दिनांक–02.06.2016 के अनुसार संकल्प सं0–3198, दिनांक–18.04.2016 में उल्लिखित छः शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करने पर आवेदक को झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र अनुमान्य है। उपर्युक्त वर्णित संकल्प की कंडिका 2(iii) के आलोक में झारखण्ड राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित/मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी या उनकी पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो, को झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। विभागीय परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 की कंडिका 10 के अनुसार "ऐसे आव्रजित श्रेणी के व्यक्तियों को आव्रजित श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र उनके पिता को मूल राज्य से सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्रपत्र में ऑनलाईन निर्गत किया जा सकता है, जिसमें उनके मूल राज्य का नाम अंकित होगा। अन्य राज्य से आये ऐसे लोगों को झारखण्ड राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।"
3	क्या यह बात सही है कि कैडर विभाजन के तहत् झारखण्ड में आये कर्मियों के बच्चे जो यहीं रहकर पठन–पाठन करने के बाद भी उक्त बच्चे को आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा सरकार नौकरियों में काफी कठिनाई हो रही है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एकीकृत बिहार से कैडर विभाजन के तहत् झारखण्ड में आये सभी कर्मियों के बच्चों का आवासीय प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कर्मियों के बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बनवाने में तथा सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधा देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–2 एवं 3 में दिए गए उत्तर के आलोक में प्रश्न की कंडिका–4 का कोई औचित्य नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/ज्ञा0वि0स0–07–12/2021 का0– 1382 /रांची, दिनांक 02/02/2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–440 वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–42 का उत्तर प्रतिवेदन। (137)

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला का राजमहल विधान सभा क्षेत्र सहित अन्य जिलों में निषाद वंशीय समाज के उपजाति चाँय, केवट, मल्लाह, विन्द, नमोशद और गोढ़ी गंगा तट व मध्य दियारा क्षेत्र में अवस्थित है, जो कृषि एवं मत्स्य पालन पर निर्भर है, जो वर्तमान में अत्यन्त पिछड़ी जाति वर्ग में आते है;	स्वीकारात्मक। चांय, केवट (कउट), मल्लाह (सुरहिया), बिन्द, नामशूद्र एवं गोड़ी (छादी) जाति राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) में सूचीबद्ध हैं।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने हेतु डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, झारखण्ड, राँची द्वारा अपने पत्रांक–1380, दिनांक–05.11.2019 के माध्यम से शोध प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हो चुकी है;	अंशतः स्वीकारात्मक। डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1380, दिनांक–05.11.2019 के माध्यम से चांय, केवट, मल्लाह, निषाद जाति के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड (2) में वर्णित शोध प्रतिवेदन में उक्त जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने हेतु यह माना कि इनके समाज को उचित अवसर और उत्थान हेतु सामाजिक न्याय के तहत् अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए;	अंशतः स्वीकारात्मक। डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1380, दिनांक–05.11.2019 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन एवं एवं पत्रांक–04, दिनांक–04.01.2021 के माध्यम से प्राप्त निष्कर्ष में चांय एवं इसके पर्यायवाची केवट, मल्लाह, निषाद जाति को अनुसूचित जाति के संवर्ग में रखे जाने की अनुशंसा की गयी है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित जातियों को राज्य में भी शोध संस्थान की ओर से तैयार की गयी प्रतिवेदन के आधार पर केन्द सरकार के समक्ष "अनुसूचित जाति" की सूची में शामिल करने की अनुशंसा करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, झारखण्ड, राँची से प्राप्त निष्कर्ष एवं अनुशंसा के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/ज्ञा0वि0स0–07–09/2021 का0– 1348 /रांची, दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–439 वि0स0, दिनांक–26.02.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(138)

श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–26 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्य जाति सूची के क्रमांक–19 पर पान/स्वांसी जाति, अनुसूचित जाति की सूची में अंकित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड सरकार के कल्याण विभाग के झारखण्ड जनजाति कल्याण शोध संस्थान ने सिंहभूम में निवासरत पान जाति, जिनके भू–अभिलेख में जाति वाले स्तंभ पर तांती दर्ज है, को पान का पर्यायवाची वर्णित किया है, पान–तांती दोनों को एक ही जाति माना है तथा अविभाजित सिंहभूम जिला के तांती कहलानेवाले पान जाति को अनुसूचित जाति को मिलनेवाला लाभ देने की अनुशंसा किया है;	वस्तुस्थिति यह है कि तांती (ततवा) जाति को पान, स्वांसी को पर्याय के रूप में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने सम्बन्धी झारखण्ड सरकार के प्रस्ताव को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रसंस्कृत कर निरस्त कर दिया गया है। विभागीय पत्रांक–10369, दिनांक–06.10.2017 द्वारा कोल्हान प्रमण्डल में निवासरत तांती (ततवा) समुदाय को, वर्तमान सामाजिक, आर्थिक एवं मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में राज्य की अनुसूचित जाति के क्रमांक 19 पर पान, स्वांसी जाति के साथ अनुसूचित जाति की सूची में समावेश करने के बिन्दु पर प्रतिवेदन की मांग डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची से की गयी है। प्रसंग में स्मारित भी किया गया है। शोध संस्थान से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रतिवेदन के आधार पर इस सम्बन्ध में अग्रतर कार्रवाई हेतु समुचित निर्णय लिया जा सकेगा।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो शोध संस्थान के उक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सिंहभूम में निवासरत पान जाति के भू–अभिलेख में अंकित तांती को अनुसूचित जाति की सारी सुविधाएं प्रदत्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 2 से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–08/2021 का0– 1277 /राँची, दिनांक 27/02/2021

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–243 वि0स0, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/2021

(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(139)

डॉ० सरफराज अहमद, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–08.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–19 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के मात्र छः जिलों यथा देवघर, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, जामताड़ा और पलामू में साईबर थाना की स्थापना की गयी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के 06 जिला यथा धनबाद, पलामू, जमशेदपुर, देवघर, जामताड़ा एवं गिरिडीह में साईबर क्राईम थाना कार्यरत है। इन 06 जिलों के अतिरिक्त अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची में राज्य साईबर क्राईम थाना कार्यरत है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान साइबर थानों में पर्याप्त कार्यबल एवं आधुनिक उपकरणों एक साइबर अकादमी तथा डिजीटल अनुसंधान प्रयोगशाला का अभाव है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। साइबर थाने में स्वीकृत बल के अनुरूप सामान्यतः प्रतिनियुक्ति की गयी है। छः स्थानों पर डिजिटल अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की कारवाई सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार राज्यस्तर पर साइबर अकादमी एवं प्रत्येक साइबर थानों में डिजीटल जाँच प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	साइबर थानों में डिजीटल जाँच प्रयोगशाला स्थापित करने के संबंध में कंडिका–02 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के **Cyber Crime Prevention against women and Children** योजना के तहत साईबर अपराध के अनुसंधान आदि के संबंध में प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षण लैब की स्थापना की गई है, जो वर्तमान में कार्यरत है। सम्प्रति साईबर अकादमी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–10/2021–1368/ राँची, दिनांक–07/03/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–224, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।